



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220039
CG-DL-E-19062020-220039

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942

No. 303]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISTHA 29, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2020

सं. 48/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 394(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (छठा संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये 27 मई 2020 से प्रवृत्त होंगे।

- केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) में, दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के

तहत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है:

परंतु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 मई, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 37 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।”

[फा.सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल नियम को सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया और सा.का.नि. संख्या 272(अ), तारीख 05 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 38/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 05 मई, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2020

No. 48/2020 – Central Tax

G.S.R. 394(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on 27th day of May, 2020.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 26 in sub-rule (1), for the second proviso, following provisos shall be substituted, namely: -

“Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of September, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** verified through electronic verification code (EVC).

Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 27th day of May, 2020 to the 30th day of September, 2020, also be allowed to furnish the details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** verified through electronic verification code (EVC).”.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 38/2020 - Central Tax, dated the 5th May, 2020, published vide number G.S.R. 272 (E), dated the 5th May, 2020.